कार्यालय उपजिलाधिकारी हैदरगढ़,बाराबंकी।

पत्रांक– 910 /एस0टी0/जांच आख्या/2021 — दिनांक– 23 जुलाई, 2021

श्री नीरज त्रिपाठी
जिला विद्यालय निरीक्षक
बाराबंकी

1285
24-7-21

जिला विद्यालय निरीक्षक,
बाराबंकी।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–2308–11/2021–22 दिनांक 25.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शिक्षा संस्था सेट जेवर्स स्कूल हैदरगढ़, बाराबंकी को सी0बी0एस0ई0 शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत के सम्बन्ध में उक्त संस्था सेट जेवर्स स्कूल हैदरगढ़ बाराबंकी का भूमि स्वामित्त सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त शिकायत के सम्बन्ध में तहसीलदार हैदरगढ़ से जांच आख्या प्राप्त की गयी, तहसीलदार हैदरगढ़ ने अपनी आख्या में स्पष्ट किया है, प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच की गयी, जिसमें पाया गया कि ग्राम सतरही परगना सुबेहा तहसील हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी की वर्तमान खतौनी सन् 1423–1428फ0 के खाता संख्या–247 पर गाटा संख्या–278मि0/0.506हे0 विश्वजीत एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी अटरिया परेवा पोस्ट गोपालपुर तहसील मडियाहू जिला जौनपुर वहैसियत प्रबन्धक पंकज कुमार सिंह पुत्र बृजेन्द्र प्रताप सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है तथा आदेश कालम में न्यायालय उपजिलाधिकारी हैदरगढ़ से धारा 143 अकृषिक भूमि घोषित होने का आदेश अंकित है, जिसमें विद्यालय भवन बना हुआ है तथा चारों ओर बाउन्ड्री बनी हुई है तथा गाटा संख्या–279/0.628हे0 काशी बख्श सिंह, अशोक कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह पुत्रगण रामबचन सिंह व गोमती सिंह पत्नी रामबचन सिंह आदि ग्रामवासी के नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित है, जिसमें गोमती सिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिसका आदेश खतौनी पर अंकित है। खातेदार काशीबक्श सिंह व विजय कुमार सिंह पुत्रगण रामबचन सिंह के द्वारा अपने हिस्से की भूमि विश्वज्योति एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट गढ़ी सतरही हैदरगढ़ द्वारा प्रबन्धक पंकज कुमार सिंह पुत्र बृजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गढ़ी सतरही हैदरगढ़ को 15 वर्षों के लिए किराये पर दिया गया है किरायेनामे की छायाप्रति साथ में संलग्न है। खातेदार विजय कुमार सिंह, काशीबख्श सिंह व अशोक कुमार सिंह का बयान लिया गया (संलग्न) बयान में कहा गया कि उक्त गाटे में विजय कुमार सिंह आदि का 1/2 हिस्सा है उक्त गाटे में रामबचन सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में 20X50 वर्ग फिट का बैनामा किया था, जिसकी दाखिल खारिज नहीं हुई है। सभी खातेदार पूर्व में हये आपसी बहमी बंटवारे के अनुसार काबिज है, जिसमें काशीबक्श

Scanned with CamScanner

ः के हिस्से में दुकानें बनी है तथा पीछे टीन शेड रखा हुआ है तथा भूमि अकृषिक घोषित है। विजय कुमार सिंह के हिस्से में आंशिक भाग पर बेरन लगा हुआ है तथा शेष भूमि खाली है। संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार गाटा संख्या—278मि0 / 0.506हे0 विश्वजीत एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के बाउन्ड्री से विजय कुमार सिंह का हिस्सा व विजय कुमार सिंह के हिस्से से काशी बख्श सिंह का हिस्सा मिला हुआ है।

संलग्नकः—यथोक्त।

23/7/13

उपजिलाधिकारी
हैदरगढ़, बाराबंकी।

Scanned with CamScanner

महोदय,

श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी के पत्रांक 2308-11/2024-
22 दिनांक 25/06/2024 जो शिक्षा संस्था सेन्ट जेवर्स स्कूल हैदरगढ़ बाराबंकी
को सी० बी० एस० ई० शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण
पत्र निर्गत किए जाने विषयक है। जिसके सम्बन्ध में स्थलीय एवं अभिलेखीय
जाँच की गई। जिसमें पाया गया कि ग्राम सतरही परगना सुबेहा तहसील
हैदरगढ़ जिला-बाराबंकी की वर्तमान खतौनी सन् 1423-1428 फ० के खाता
संख्या 247 पर गाटा सं० 278मि/0.506 हे० विश्वजीत एजूकेशनल एण्ड
वेलफेयर सोसाइटी अटरिया परेवा पोस्ट गोपालपुर तहसील मड़ियाहू
जिला जौनपुर बहैसियत प्रबन्धक पंकज कुमार सिंह पुत्र बृजेन्द्र प्रताप सिंह के
नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। तथा आदेश कालम में श्रीमान उपजिला
-धिकारी-महोदय के न्यायालय से धारा 143 अकृषिक भूमि घोषित होने का
आदेश अंकित है। जिसमें विद्यालय भवन बना हुआ है तथा चारो ओर
बाउन्ड्री बनी हुई है। तथा गाटा सं० 279/0.628 हे० काशी वकेश सिंह अशोक
कुमार सिंह विजय कुमार सिंह पुत्रगण रामबचन सिंह व गोमती सिंह w/o रामबचन
सिंह आदि ग्रामवासी के नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित है। जिसमें गोमती सिंह
की मृत्यु हो चुकी है जिसका आदेश खतौनी पर अंकित है। खातेदार काशी वकेश सिंह व
विजय कुमार सिंह पुत्रगण रामबचन सिंह के द्वारा अपने हिस्से की भूमि विश्वज्योति एजू-
-केशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट गढ़ी सतरही हैदरगढ़ द्वारा प्रबन्धक पंकज कुमार सिंह S/o बृजेन्द्र
प्रताप सिंह नि० गढ़ी सतरही हैदरगढ़ को 15 वर्षों के लिए किराये पर दिया गया है, बताया गया है
किराये नामे की छायाप्रति साक्ष्य में संलग्न है। खातेदार विजय कुमार सिंह, काशी वकेश सिंह
व अशोक कुमार सिंह का बयान लिया गया जो साक्ष्य में संलग्न है। बयान में बताया
गया कि उक्त गाटे में विजयकुमार सिंह आदि का 1/2 हिस्सा है उक्त गाटे में रामबचन सिंह
द्वारा अपने जीवनकाल में 20×50 वर्ग फिट का बैनामा किया था जिसकी दाखिल खारिज
नहीं हुई है। सभी खातेदार पूर्व में हुए आपसी बहमी बटवारे के अनुसार काबिज है
जिसमें काशीवकेश सिंह के हिस्से में दुकाने बनी है तथा पीछे बीन बेड रखा हुआ है।
तथा भूमि अकृषिक घोषित है। तथा विजय कुमार सिंह के हिस्से में आंशिक भाग पर
बेंत लगा हुआ है तथा शेष भूमि खाली है। सलग्न नजरी नक्शा के अनुसार
गाटा सं० 278मि०/0.506 हे० विश्वजीत एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के बाउन्ड्री से
विजय कुमार सिंह का हिस्सा व विजय कुमार सिंह के हिस्से से काशी वकेश सिंह का हिस्सा
मिला हुआ है। नजरी नक्शा व खातेदार के बयान साक्ष्य में संलग्न है।
रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

लेखपाल
रा० नि०
[signature]
08/07/24

महोदय,
लेखपाल कानूनगो सादर सेवा में प्रेषित
[signature]
R.I.K.
09/07/2024

महोदय,
रा० नि० आख्या अग्रसारित
[signature]
10/07/24
NT(H)

Scanned with CamScanner

बयान

मै विजय कुमार सिंह पुत्र रामबचन सिंह उम्र लगभग 40 वर्ष पेशा
कृषि निवासी ग्राम गदी म० सतरही परगना मुबेहा तहसील हैदरगढ़
जिला - बाराबंकी का निवासी हूँ। तथा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
ग्राम सतरही पर० मुबेहा तहसील - हैदरगढ़ जिला - बाराबंकी की वर्तमान
खतौनी में गाटा सं० 279/0.628 का मै संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार हूँ।
गाटा सं० 279/0.628 जगदीश प्रसाद पुत्र रामलखन, काशीवक्स सिंह, अशोक
कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह पुत्रगण रामबचन सिंह व श्रीमती गोमती सिंह
W/o स्व० रामबचन सिंह व गिरजा बक्श सिंह पुत्र बड़ी सिंह ग्राम वाकी के नाम
संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित है। जिसमें हम तीनो भाइयो व माता जी
का मिलाकर 1/2 हिस्सा है। उक्त गाटे मे मेरे पिता जी द्वारा 20x50 हे० का बैनामा
अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया था। जिसकी दाखिल खारिज नही हुई है। उक्त गाटे में
हम लोग कहमी बटवारे के अनुसार काबिज है। मेरे बड़े भाई काशीवक्स
बांदा-बहराइच मार्ग के किनारे हिस्सा है जिसमें दुकाने बनी है तथा उसके पीछे
टीन शेड रखा हुआ है जिसके दक्षिण रोड बनी हुई है काशी वक्स सिंह के हिस्से
पीछे / पश्चिम हमारा व हमारे भाई अशोक कुमार सिंह का कब्जा है। अशोक कुमार सिंह
का हिस्सा गदी के जाने वाली रोड के किनारे है उसके बाद हमारा हिस्सा है जिस पर
हम काबिज है। तथा किसी प्रकार का विवाद नही है।
बयान पढ़कर व सुनकर तस्दीक किया।

विजय कुमार सिंह

उपरोक्त बयान से हम सब भाई। सहखातेदार सहमत होकर हस्ताक्षर बनाया।

काशीवक्स सिंह

[signature]

अशोक कुमार सिंह

Scanned with CamScanner

नजरी नक्शा

ग्राम - सतरही परगना - मुबेहा तहसील हैदरगढ़ बाराबंकी

गाटा सं० 279 में बहमी बटवारे के आधार पर

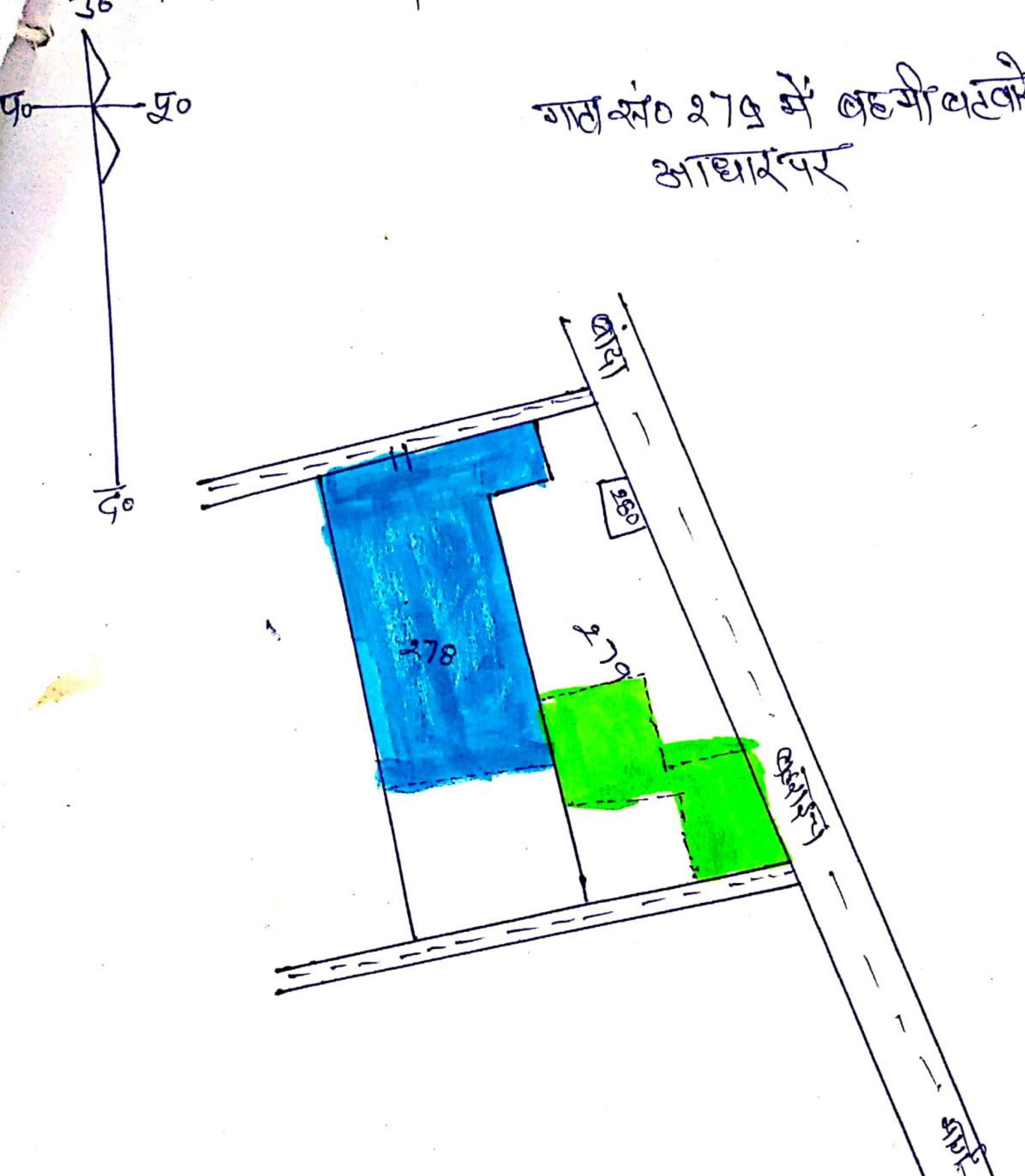

[signature] ले०
लेखपाल
08/07/04

Scanned with CamScanner